

SSC FOUNDATION



सम्यान 1.0 बैच



CONSTITUTION

DIRECTIVE PRINCIPLES OF POLICY

(नीति निदेशक तत्व)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE: 12 PM

BY-PAWAN SIR



WELCOME TO



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by Prince Edutech Private Limited

Disclaimer

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by **airGurukul Institute for Career Growth**, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for **educational and informational purposes only**. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, **airGurukul** does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to **verify details from official sources before making any decisions**.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are **solely for educational illustration and fair-use academic discussion**. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. **airGurukul** shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. **Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited**.

राज्य/State

Directive Principles of State Policy / राज्य के नीति निदेशक तत्व - मार्गदर्शक

= राज्य के सरकार के

✓ "राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य देश में एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये तत्व राज्य को नीति निर्माण और कानून बनाने में दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते।"

नीति :- कानून विधि LAW

"Directive Principles of State Policy (DPSP) are the guidelines or principles given to the State by the Constitution of India to establish a just society. They are fundamental in the governance of the country but are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by any court."

सरल शब्दों में:

राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सिद्धांत हैं, जो सरकार को यह बताते हैं कि उसे देश के नागरिकों के कल्याण, समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार नीतियाँ बनानी चाहिए।

Policy
कानून
LAW | Act

मौलिक अधिकार बनाम DPSP:

हर एक = राज

□ मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत DPSP का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है।

☆ ☒ DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।

□ मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।

☆ ☒ दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, DPSP कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

□ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं।

□ DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है।

दोनों में जगल शामिल

दोनों में जगल पूर्णपरि

संविधान

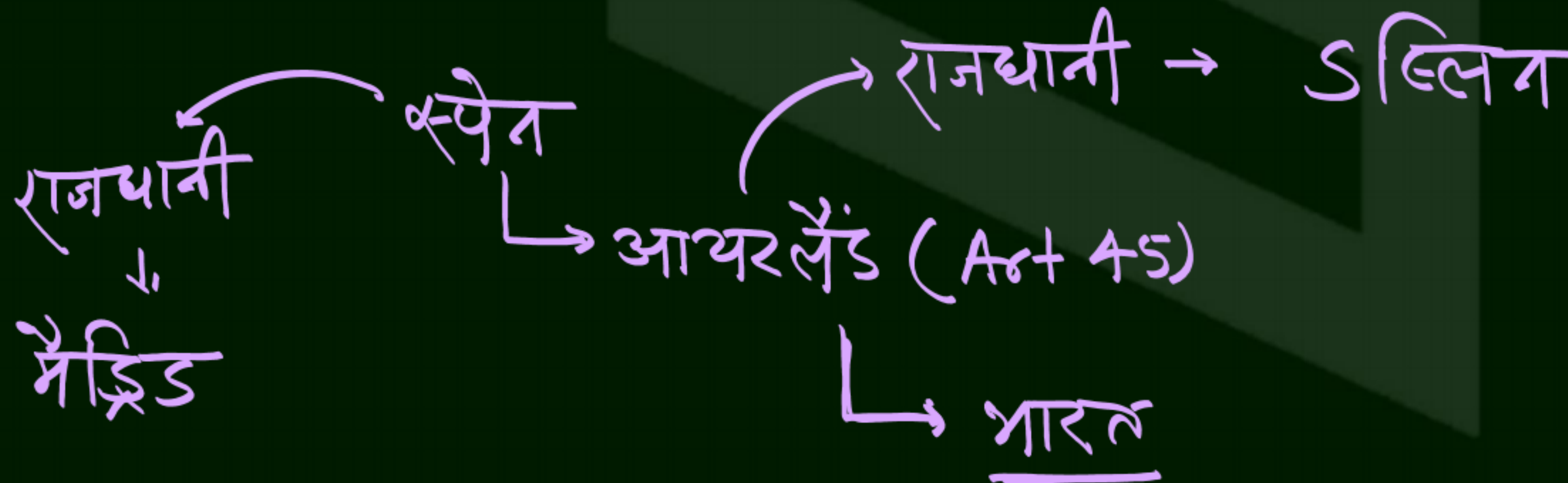
PART 4 / भाग 4 - अनुच्छेद / ARTICLE : 36 से 51

Directive Principles of State Policy / राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

Borrowed from the Irish Constitution / आयरलैंड के संविधान **Article 45**

L Borrowed from the **Spanish Constitution**

संविधान सभा के सलाहकार (Advisors to the Constituent Assembly)- **बी. एन. राउ / B. N. Rau**



1. Socialist Principles (समाजवादी तत्व)- ARTILCE :- 38, 39, 41, 42, 43, 47 ✓

समाजवादी तत्व वे नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य समाज में सामाजिक व आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice) स्थापित करना है।

इनका मकसद एक Welfare State (कल्याणकारी राज्य) की स्थापना करना है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

2. Gandhian Principles (गांधीवादी तत्व)- ARTILCE :- 40, 43, 46, 47, 48, 49 A ✓

गांधीवादी तत्व वे नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन (Philosophy) पर आधारित हैं।

इनका उद्देश्य है – ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, ग्राम पंचायतें, निषेध (prohibition), और समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति। ✓

गांधीजी ने हमेशा ग्राम स्वराज (Village Republic) और स्वावलंबन (Self-reliance) पर जोर दिया था, जिसे संविधान के DPSP में शामिल किया गया।

3. Liberal-Intellectual Principles (उदार-बौद्धिक तत्व)- ARTILCE :- 44, 45, 48, 49, 50, 51 ✓

उदारवादी-बौद्धिक तत्व वे नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य एक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था (Liberal Democratic Order) को मजबूत करना और नागरिकों को बौद्धिक स्वतंत्रता, न्याय और समानता प्रदान करना है।

ये तत्व भारतीय संविधान में पाश्चात्य उदारवादी परंपराओं (Western Liberal Traditions) से प्रेरित हैं।

अनुच्छेद 36 (Article 36) – परिभाषा (Definition)

राज्य की परिभाषा

इसमें कहा गया है कि भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्वों) में प्रयुक्त शब्द "राज्य" की वही परिभाषा होगी, जो अनुच्छेद 12 (भाग III – मौलिक अधिकार) में दी गई है।

अर्थात् 'राज्य' में सम्मिलित हैं / This means the State includes:

1. भारत सरकार और संसद। ✓

Government and Parliament of India (Union Government).

2. प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। ✓

Government and Legislature of each State.

3. स्थानीय निकाय (नगरपालिकाएँ, पंचायतें आदि)। ✓

All local authorities (like municipalities, panchayats).

4. भारत सरकार के अधीन सभी अन्य प्राधिकरण। ✓✓

Other authorities under the control of Government of India.

Art-12 में दी

अनुच्छेद 37 (Article 37) –

नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति (Application of the principles contained in Part IV)

सुझाव
मार्गदर्शन

अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) न्यायालय द्वारा बाध्यकारी (enforceable) नहीं हैं।

Article 37 states that the Directive Principles of State Policy (DPSP) are not enforceable by any court of law.

लेकिन वे देश के शासन में मूलभूत (fundamental) माने जाते हैं।

But, they are fundamental in the governance of the country.

राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।

It is the duty of the State to apply these principles in making laws.

सरल शब्दों में, DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे राज्य पर नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से बाध्यकारी हैं।

In short, DPSPs are non-justiciable (cannot be enforced in court) but morally binding on the State.

Article 38 – State to secure a social order for the promotion of welfare of the people

अनुच्छेद 38 – जनता के कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना

↑ ☆ लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ☆

Key Points

1. Welfare of People (जनकल्याण)

The main aim of Article 38 is to establish a welfare state (कल्याणकारी राज्य).

It means the State must work for the overall well-being of citizens – not just material development but also social justice and dignity.

इसका उद्देश्य हर वर्ग के नागरिक को समान अवसर और सम्मान देना है।

2. Directive to State (राज्य के लिए निर्देश)

The State is directed to secure such social order through its laws and policies.

Courts cannot enforce this directly because DPSPs are non-justiciable, but they serve as guiding principles for governance.

3. Social Order Based on Justice (न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था)

Justice is explained in three forms here:

Social Justice (सामाजिक न्याय)

Removal of inequalities in society.

Ending discrimination on the basis of caste, gender, religion, etc.

Providing equal status and opportunities.

Economic Justice (आर्थिक न्याय)

No concentration of wealth in few hands.

Equal distribution of resources. :- संसाधन का बराबर वितरण

Protection of workers, farmers, and weaker sections.

Political Justice (राजनीतिक न्याय)

Equal participation in politics.

Right to vote, right to contest elections, freedom of expression.

Ensuring that all citizens have an equal voice in governance.

असमानता को दूर करना

अवसर

जाति, लिंग, धर्म

भेदभाव को खत्म करने का प्रयास

सुरक्षा :- काम करों, किसानों, कमजोर वर्ग को

42nd Constitutional Amendment, 1976 (महत्वपूर्ण संशोधन)

Article 38(2)

The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.

राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को घटाने और स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न समूहों के बीच भी।

Key Points

- Income Inequality (आय की असमानता को कम करना)
- अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर घटाना।
- Progressive taxation (प्रगतिशील कर प्रणाली) और redistribution of wealth (धन का पुनर्वितरण) करना।
- Status Inequality (स्थिति की असमानता समाप्त करना)
- जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव खत्म करना।
- सभी को समान सामाजिक दर्जा देना।

3. Facilities Inequality (सुविधाओं में असमानता)

- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का समान वितरण।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाना।

4. Opportunities Inequality (अवसरों में असमानता)

- रोजगार और शिक्षा में समान अवसर।
- कमजोर वर्गों (SC, ST, OBC, महिलाएँ) को विशेष अवसर प्रदान करना।

5. Individuals and Groups (व्यक्ति और समूह दोनों पर लागू)

- न केवल व्यक्ति-व्यक्ति के बीच बल्कि:
 - Different areas (क्षेत्रों के बीच) – जैसे उत्तर-पूर्व, पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण-शहरी असमानता।
 - Different vocations (व्यवसायों के बीच) – किसान, मजदूर, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी आदि।

THANK YOU



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth
www.airgurukul.com

Follow Us |       

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

